"एक बच्चें के जीवन के लिये खुशी की किरण बनें, बच्चे का पालन पोषण करें"

भारत में एक सुविकसित एवं प्रबल परिवार प्रणाली निवास करती है भारत के अनेक क्षेत्रों में परंपरागत संयुक्त परिवार प्रणांली मजबूत है जहां बच्चा अपने भाई/बहिन ,दादा–दादी, चाचा–चाची वुआ आदि के साथ रहकर बड़ा होता है। सामान्यतः भारत में विस्तृत परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार शब्द का प्रयोग अधिक किया जाता है कुछ विशेष परिस्थितियों में जहॉ माता–पिता अपनी बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से बच्चों का ध्यान नही रख पाते हैं वहॉ बच्चे का ध्यान उसके सगे संबंधियों द्वारा रखा जाता है।

वर्तमान दिशानिर्देश हमारे सामाजिक – सांस्कृतिक परिवेश में स्थापित इस तरह की अनौपचारिक परिवार प्रणांलियो को संस्थागत करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं और इसीलिये ये इस तरह की व्यवस्थाओं को समाविष्ट नहीं करते हैं। यदि किसी विस्तृत परिवार को बच्चे के पालन – पोषण/ परवरिश हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता पडती है, तो यह सहायता उस परिवार को समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है, अथवा उस परिवार को सरकार की अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों से जोडकर बच्चे के पालन –पोषण/परवरिश हेतु मजबूत बनाया जा सकता है। फॉस्टर केयर के दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) का उद्देश्य उन बच्चों की भलाई करना है जो परिवारिक देखभाल से वंचित हैं अथवा जिनके साथ ऐसा होने की संभावना है।

इन दिशानिर्देशों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुच्छेद/धारा 44; जेजे एक्ट के नियम 23 समेकित बाल सरक्षण योजना एवं बाल अधिकारों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1989) से मजबूती मिलती है इन दिशानिर्देशों में दत्तक –गृहण पूर्व बच्चे का पालन –पोषण करना शामिल नहीं किया गया है। इसके लिये बच्चों का दत्तक–गृहण (Adoption of Children) 2016 के दिशानिर्देश (Guideline) जिन्हें किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया लागू होगें है।

राज्य/संघ शासित प्रदेश अपनी सामाजिक आर्थिक एवं भौगोलिक जरूरतों के अनुसार इन दिशानिर्देशों को लागू कर सकेगें।

अध्याय – 01 प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त शीर्षक :– इन निर्देशों को फॉस्टर केयर के लिये आदर्श दिशानिर्देश 2016 भी कहा जा सकता है।

1.2 परिभाषा :–

A. इन दिशानिर्देशों में आवश्यक परिभाषाएँ :–

(i) "परित्यक्त बच्चा " मतलब वह बच्चा जिसे उसके जैविक या दत्तक माता–पिता अथवा अभिभावाक द्वारा छोड़ दिया गया है, जिसे समिति द्वारा जांच के पश्चात परित्यक्त घोषित किया गया है।

(ii) "अधिनियम " अर्थात किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

(iii) "दत्तक ग्रहण " अर्थ्रात वह प्रक्रिया जिसमें किसी दत्तक बच्चे को उसके जैविक माता–पिता से हमेशा के लिये पृथक कर लिया जाता है और वह अपने दत्तक माता–पिता का कानूनी रूप से वैध बच्चा माना जाता है। दत्तक माता–पिता को वे सभी अधिकार, विशेषाधिकार एवं जिम्मेदारियां प्राप्त होती हैं जो कि बच्चे के जैविक माता–पिता को प्राप्त थी।

(iv) " आफ्टर केयर " अर्थात् व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु तो पूर्ण कर ली है परंतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उसके लिये आर्थिक अथवा किसी प्रकार की सहायता प्रदान करना, जिससे वह समाज में स्वयं को स्थपित कर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके।

(v) " बच्चे का सर्वोत्तम हित " अर्थात् बच्चे के बारे में लिये गये किसी भी निर्णय को इस आधार पर लिया जाये जिससे वह बच्चे के बुनियादी अधिकारों, जरूरतों, पहचान, सामाजिक भलाई एवं शारीरिक, भावात्मक तथा वौद्धिक विकास को सुनिश्चित कर सके।

(vi) " देखरेख करने वाला" :– अर्थात व्यक्ति/कर्मी जिन्हें बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण प्रदाय करने हेतु नियुक्त किया गया है।

(vii) बच्चों की देखरेख संस्था (चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन) अर्थात् बालगृह, खुला आश्रयगृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण एवं एक योग्य सुविधा जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत

मान्यता प्राप्त हो, जो उन बच्चें को देखभाल एवं संरक्षण प्रदान कर सके जिन्हे इसकी आवश्यकता है।

(viii) " **बच्चा** " अर्थात वह व्यक्ति जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है। जैसा कि एक्ट में परिभाषित है।

(ix) "**समिति** " अर्थात् बाल कल्याण समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 27 के तहत गठित की गई ।

(x) " **बाल अधिकारों पर सम्मेलन** " अर्थात् बाल अधिकारों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989।

(xi) " **जिला बाल संरक्षण इकाई** " अर्थात् एक जिले के लिये समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई वह बाल संरक्षण इकाई जो कि जिले में अधिनियम के कियान्वयन एवं बाल संरक्षण के अन्य उपायों को सुनिश्चित करती है।

(xii) " **उचित सुविधा तंत्र** " से किसी सरकारी संगठन या रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा चालाया जा रहा ऐसा सुविधा तंत्र अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट बालक का किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये अस्थाई रूप से जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हो और ऐसा सुविधा तंत्र उक्त प्रयोजन के लिये धारा 51 की उप धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा उपयुक्त रूप से मान्यता प्राप्त है;

(xiii) " **फॉस्टर केयर** " से किसी बालक का समिति द्वारा बालक के जैविक कुटुम्ब से भिन्न किसी ऐसे कुटुम्ब के, जिसका ऐसी देखरेख करने के लिये चयन किया गया है, जिसे अर्हित घोषित किया गया है, जिसका अनुमोदन और पर्यवेक्षण किया गया है, घरेलू वातावरण में अनुकल्पित देखरेख के प्रयोजन के लिये रखा जाना अभिप्रेत है;

(xiv) " **पालक कुटुम्ब** " से ऐसा कुटुम्ब अभिप्रेत है जिसे बालक संरक्षण एकक द्वारा धारा 44 के अधीन पोषण देखरेख के लिये बालको को रखने हेतु उपयुक्त पाया गया है;

(xv) " **सामूहिक पोषण देखरेख** " से देखरेख और संरक्षा के जरूरतबंद ऐसे बालकों के लिये, जिसकी पैतृक देखरेख नहीं होती है, कुटुम्ब जैसी ऐसी देखरेख सुविधा अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य कुटुम्ब जैसे और समुदाय आधारित समाधानों के माध्यम से व्यक्तिपरक देखरेख करने तथा संबंध और पहचान के बोध को अनुकूल बनाने का है;

(xvi) संरक्षक " से, किसी बालक संबंध में, उसका नैसर्गिक संरक्षक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी वास्तविक देखरेख में, यथास्थिति, समिति या बोर्ड की राय में, वह बालक है और जिसे, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा कार्यवाहियों के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(xvii) " गृह अध्ययन रिपोर्ट " अर्थात् वह रिपोर्ट जिसमें पालन–पोषण करने वाले माता–पिता, व्यक्ति या समूह के पालक के परिवार की स्थिति का विवरण लिखा होता है। इस रिपोर्ट में परिवार का सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, घर का वर्णन, जीवन स्तर, परिवार के सदस्यों के बीच मौजूदा संबंध एवं स्वास्थ्य आदि का विवरण शामिल होता है।

(xviii) " व्यक्तिगत देखभाल योजना " बच्चे के लिये एक विकास योजना है जो कि उम्र विशेष, लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं एवं बच्चे के इतिहास पर आधारित है जिसके तहत बच्चे के आत्म–सम्मान, गरिमा और आत्म –मूल्यों को बहाल करके उसे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में स्थपित किया जा सके।

(xix) " रिश्तेदारी देखभाल " अर्थात बच्चे की उसके विस्तृत परिवार में परिवार आधारित देखभाल।

(xx) " अनाथ " से ऐसा बालक अभिप्रेत है :–

(**i**) जिसके जैविक या दत्तक माता–पिता या विधिक संरक्षक नहीं है; या

(**ii**) जिसका विधिक संरक्षक बालक की देखेरख करने का इच्छुक नहीं है या देखरेख करने में समर्थ नहीं है;

(xxi) " दत्तक गृहण पूर्व फॉस्टर केयर " अर्थात् एक अवस्था है जब किसी बच्चे के दत्तक गृहण, 2015 के दिशानिर्देशों के तहत बच्चे को किसी दत्तक माता–पिता की अभिरक्षा में दिया जाता है।

(xxii) " विशिष्ट दत्तक गृहण अभिकरण " अर्थात् वह अभिकरण जिसे बच्चे के दत्तक गृहण के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 65 की उप धारा 4 के तहत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है जिसे अनाथ अभ्यर्पित परित्यक्त बच्चों को बाल कल्याण समिति के आदेश से रखने की अनुमति होती है;

(xxiii) " राज्य दत्तक स्त्रोत अभिकरण " एक अभिकरण है जिसे समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत व्यवस्थित किया जाता है।

(xxiv) " **राज्य सरकार** " (एक संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में) का मतलब प्रशासक से है जिसे संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

(xxv) " **अभ्यर्पित बच्चा** " से अभिप्राय उस बच्चे से है जिसे माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक करकों के नियंत्रण से बाहर होने के कारण समिति के समक्ष त्यागा जाता है और ऐसा समिति के समक्ष घोषित किया जाता है। एवं समिति उक्त बच्चे को परित्यक्त बच्चा घोषित करती है।

B. परिभाषा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2016

(i) " **मामला कार्यकर्ता** " से रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर –सरकारी संगठन का ऐसा प्रतिनिध अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जायेगा और ऐसे कार्य करेगा, जो बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जायें;

(ii) " **बाल दत्तकगृहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणांली** " से ऐसी ऑनलाईन प्रणांली अभिप्रेत है, जो कि दत्तकगृहण कार्यक्रम में सहायता करे व उस कार्यक्रम की निगरानी करे;

(iii) " **बाल अध्ययन रिपोर्ट** " से वह रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्मतिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;

(iv) " **व्यक्तिगत देखरेख योजना** " किसी बालक के लिये ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उसे बालक की आयु और लिंग–विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस बालक के मामले के पूर्ववृत्त पर आधारित हो, जिसे बालक का खोया अत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से बालक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है और तदानुसार इस योजना में बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ती की जायेगी, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी अर्थात :–

(क) स्वास्थय और पोषण संबंधी आवश्यकताएं जिसके अंतर्गत कोई विशेष आवश्यकताएं भी हैं;

(ख) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं:

(ग) शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं :

(घ) अवकाश, सर्जनात्मक और खेलकूद;

(ड) सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण;

(च) उद्धार और अनुवर्तन;

(छ) समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना;

(ज) जीवन कौशल प्रशिक्षण।

C. वे सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां प्रयुक्त है लेकिन परिभाषित नहीं है का वही अर्थ होगा जो किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में है।

(i) अनौपचारिक नातेदारी – भारत में अनौपचारिक नातेदारी द्वारा देखभाल की व्यवस्था काफी सबल है, विना परिवार के बच्चे अथवा वे बालक जिनके परिवार उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं है उनकी देखभाल अनौपचारिक नातेदार सदस्यों द्वारा की जाती है, ऐसे प्रकरण जहां नजदीकी रिस्तेदार बच्चों की देखभाल करने हेतु तैयार नहीं है ऐसी स्थति में बच्चों को ऐसे इच्छुक परिवार में रखने की व्यवस्था की जाती है परिवार बच्चे के सामाजिक, जनजाति/समुदाय के बीच से हो।

ऐसी व्यवस्थाओं कों इन दिशा निर्देशों में औपचारिकता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसी देखरेख की प्रबल व्यवस्थाएं हमारे सामाजिक ढांचे में पूर्व से ही विद्यमान है।

देखभाल की ऐसी पारम्परिक व अनौपचारिक नातेदारी व्यवस्था हमारे समाज में पूर्व से विद्यमान होने से दिशा निर्देशों में इन्हें कवर नहीं किया जा सकता है।

लेकिन यदि ऐसी अनौपचारिक नातेदारी देखरेख व्यवस्था में यदि किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो उसे स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम जैसा अधिनियम में दिया गया है अथवा राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत विचार किया जा सकेगा।

(ii) राष्ट्रीय बाल नीति 2013 – राष्ट्रीय बाल नीति जिसे वर्ष 2013 में गृहण किया गया के अनुसार सभी बच्चों को पारिवारिक वातावरण में खुशी प्यार एवं समझ के साथ बढने का अधिकार है।

परिवार अथवा पारिवारिक वातावरण बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु अति आवश्यक है, बच्चों को उनके परिवार से अलग नहीं किया जाना चाहिये जबतक कि ऐसा करना उनके सर्वाधिक हित मे न हो।

4. फॉस्टर केयर (Foster Care) (पालन –पोषण संबंधी देखभाल) :– किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 44 अंतर्गत देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को पोषण देखरेख, जिसके अंतर्गत समिति के आदेशों के माध्यम से उनकी देखरेख और संरक्षण के लिये सामूहिक पोषण देखरेख भी है, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करके जो इस संबंध में विहित की जाए–

1. किसी ऐसे कुटुम्ब में जिसके अंतर्गत बालक के जैव या दत्तक माता–पिता नहीं हैं, ऐसे परिवार जो बच्चे से संबंधित नहीं है, जिसे चिन्हित किया गया हैं, उपयुक्त समझा गया है, किसी असंबद्ध कुटुम्ब में अल्पावधि या लंबी अवधि के लिये रखा जा सकेगा।

2. अधिनियम के अंतर्गत पोषण देखरेख हेतु सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उचित सुविधा तंत्र में।

4.1 फॉस्टर केयर क्या हैः–

फॉस्टर केयर एक व्यवस्था है जिसके तहत एक बच्चा आमतौर पर अस्थायी रूप से किसी असंबंधित परिवार के सदस्यों के साथ रहता है एक बच्चे को रखने हेतु बच्चे के विस्तृत परिवार अथवा परिवार के उन करीबी दोस्तों को वरीयता दी जायेगी जिन्हे बच्चा पहचानता है।

4.1.1

परंतु यदि इस तरह का काई विकल्प उपलब्ध नहीं है अथवा बच्चें की देखभाल करने के लिये तैयार नहीं है, तभी बच्चे को फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है। बच्चे को फॉस्टर केयर में रखने के दौरान उन्हीं परिवारों को वरीयता दी जावेगी जो कि बच्चे की संस्कृति अथवा समुदाय से संबध रखते है।

फॉस्टर केयर की परिभाषाएंः–

1. अल्प अवधि के पोषण देखरेख का अर्थ है देखरेख की अवधि जो एक वर्ष से कम हो।

2. दूसरे स्थान पर दीर्घकालिक फॉस्टर केयर अंतर्गत बच्चों को समिति द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के लिये रखा जा सकता है।

फॉस्टर केयर की समय अवधि का निर्धारण बालक के पोषक परिवार में अनुकूलन की स्थिति के आधार पर समिति द्वारा किया जा सकेगा एवं अवधि को बढाया जा सकेगा।

4.1.2

सामूहिक फॉस्टर केयर देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले उन बच्चों के लिये परिवार जैसी देखभाल की सुविधा है, जो बच्चे माता– पिता की देखभाल के बिना रहते है, सामूहिक फॉस्टर केयर का उद्देश्य बच्चे को व्यक्तिगत देखभाल एवं समुदाय आधारित तथा परिवार जैसी पहचान एवं पालन –पोषण प्रदान करना है। सामूहिक फॉस्टर केयर एक पारिवारिक व्यवस्था है जहां एक–दूसरे असंबंधित बच्चों को वैकल्पिक माता–पिता के साथ रखा जाता है जिनके स्वयं के बच्चें हो या न हो। सामूहिक फॉस्टर केयर एक अनिरंतर

व्यवस्था के रूप में उन बच्चों के लिये उपयुक्त है जिन्हे सड़को से पुर्नवासित किया गया है, यह बच्चो को व्यक्तिगत देखरेख में रखने से पूर्व की व्यवस्था है।

4.1.3

पूरे देश में सामूहिक पोषण देखरेख विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रयोग में लाये जा रहे हैं, इनके द्वारा अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि के पोषण देखरेख एवं संरक्षण के अंतर्गत एक समिति से स्वयं के बच्चों को पारिवारिक वातावरण में रखे जाने की व्यवस्था की गई है, इसमें महत्वपूर्ण है कि सभी उपयुक्त सुविधा तंत्र जो फॉस्टर केयर से जुडे हैं, उनका पंजीयन किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत हो एवं बच्चों को रखने की व्यवस्था बाल कल्याण समिति के आदेश उपरांत ही होना अनिवार्य है।

5. फॉस्टर केयर के मौलिक सिद्धांत

(i) परिवार अथवा परिवार जैसा वातावारण बच्चें के लिये सबसे ज्यादा उपयुक्त है और हर बच्चे को इस तरह के वातावारण में पलने का अधिकार है।

(ii) इस बात का ध्यान रखते हुये कि हर बच्चे को एक परिवार के वातावरण में पलने–बढने का अधिकार है, एक सुनियोजित प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के जैविक परिवार को मजबूत बनाकर बच्चे को उसके जैविक परिवार से पुनर्मिलन हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिऐ

(iii) वर्तमान दिशानिर्देश के दायरे में लिये जाने वाले सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण प्रत्येक मामले की प्रकृति मामले–दर–मामले के आधार पर लिये जाने चाहिये। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिये कि ये निर्णय पहल एवं दृष्टिकोण बच्चे की रक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करे एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित पर आधारित हों।

(i v) वर्तामान दिशानिर्देश के दायरे में लिये जाने वाले सभी निर्णय, पहल एवं दृष्टिकोण बच्चे के अधिकार का सम्मान करें एवं बच्चे की उद्विकासीय क्षमताओं के अनुसार उसके विचारों का भी विधिवत ध्यान रखने योग्य हैं।

(v) भाई–बहिनों एवं जुडवा बच्चों को एक ही परिवार में रखने पर वरीयता देनी चाहिये।

6.पालक पोषक परिवार में बच्चे का स्थापन :–

(i) सीडब्ल्यूसी द्वारा पालक परिवार में एक बच्चे की नियुक्ति की औ चत्य देखभाल या एक फट सु वधा में समूह पालक ध्यान में निर्धारित कया जा सकता है!

कारकों में से कुछ के मन में वहन कया जाना हैए जब क करने के लए निर्णय लेने के नीचे दिए गए हैं

- आघात के स्तर के एक बच्चे द्वारा अनुभव
- नशीली दवाओं की लत के इतिहास
- स्तर और वकलांगता के प्रकार
- सामाजिक व्यवहार
- सी भी वशेष देखभाल की आवश्यकता हैए लाइलाज बीमारी आदि
- एक बच्चे को संस्थागत डे के लए की जरूरत है
- सहित सु वधाओं की उपलब्धता

(ii) बच्चे की पसंद और सहमति या माता- पता या संरक्षक, जैसा भी मामला हो सकता है

(iii) वकल्प की उपलब्धता

(iv) वकल्प की उपयुक्तता

7. फॉस्टर केयर के लिये पात्र बच्चों की श्रेणियां :–

बच्चों की निम्नलिखित श्रेणियॉ को फॉस्टर केयर हेतु योग्य माना जाएगा **0–6** आयु वर्ग के बच्चों को सामान्यतः दीर्धकालिक फॉस्टर केयर के अंतर्गत रखने पर विचार नहीं किया जाएगा इस आयुवर्ग के बच्चों को दत्तक गृहण के तहत स्थाई परिवार उपलब्ध कराने की कोि ा ा की जाएगी। इसके लिये बच्चों का दत्तक–गृहण, 2015 के दिशानिर्देश लागू होंगे।**6–18** वर्ष आयुवर्ग के बच्चे जो कि बच्चों की देखरेख संस्थाओं (Child Care Instutions) में रह रहे हैं। उन्हे देखभाल संस्थान में विकसित व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर फॉस्टर केयर में रखा जाऐगा।

A . बालक जिनको लीगल फ्री घोशित किया गया है समित द्वारा लेकिन उनका दत्तक गृहण नहीं हुआ।

(1) बच्चों की विभिन्न श्रेणी जिन्हे फॉस्टर केयर हेतु परिस्थिति अनुसार उपयुक्त माना है।

(i) यदि कोई बालक जिसकी उम्र 06 से 08 वर्श है, दत्तक हेतु लीगल फ्री है, लेकिन पालक माता–पिता के द्वारा एक वर्श तक चयनित नहीं है वह बालक परिवार आधारित पोशण देखरेख अथवा समूह पोशक देखरेख योजना के लिये योग्य है, यदि जिला बाल संरक्षण

इकाई/वि ोश दत्तक गृहण ऐजेन्सी उक्त दत्तक का फॉस्टर केयर हेतु बाल कल्याण समिति को अनुमोदन करती है।

(ii) यदि कोई बालक जिसकी उम्र 8 वर्श से 18 वर्श की है एवं दे ा के बाहर/भीतर के लिये दत्तक गृहण हेतु समिति द्वारा लीगल फ्री घोशित है लिकिन किन्ही कारणों से 01 वर्श तक किसी द्वारा चयनित नहीं दिया जाता है, ऐसा बालक आधारित/समूह आधारित फॉस्टर केयर हेतु उपयुक्त है, यदि परिवार फॉस्टर केयर जिला बाल संरक्षण इकाई उक्त दत्तक का अनुमोदन समिति को भेजती है।

(iii) वि ोश क्षमता वाले बच्चों को यदि समिति द्वारा लीगल फ्री करने के एक वर्श तक यदि उन्हे दे ा के अंदर अथवा बाहर पोशक परिवार नहीं मिलता है, ऐसे बच्चे परिवार/समूह फॉस्टर केयर के लिये योग्य है ऐसे बच्चों के प्रकरण में पोशक एवं देखरेख परिवार को गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं उनके स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट उक्त बालक के देखरेख हेतु उपयुक्त पाये जाने के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति को अनुमोदन कर सकती है।

(a) ऐसे बालक की देखरेख हेतु पोशक परिवार की क्षमता के आंकलन के आधार पर पालक परिवार में दिया जा सकता है।

(b) इसीप्रकार उपयुक्त सुविधा को ऐसे बालक की देखरेख हेतु उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर दिया जा सकता है।

B. बच्चे जिन्हे दत्तक गृहण हेतु समिति द्वारा लीगल फ्री घोषित नहीं नही किया गया है :– जहां कोई बालक अपने पोषक परिवार के साथ गत 05 वर्ष से निवासरत है दत्तक गृहण के पूर्व पोषक देखरेख हो ऐसी स्थति में पोषक परिवार बच्चे को दत्तक गृहण पर प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है।

ऐसे पोषक माता/पिता दत्तक गृहण मार्गद ीं सिद्धांत 2016 के अंतर्गत बनाये गये चाइल्ड एडोप् ान रिसोर्स इन्फॉर्मे ान एण्ड गाइडैन्स सिस्टम के एक भिन्न पृष्ठ पर अपना पंजीयन करायेंगे।

C. बच्चे जिन्हे निसंस्थानिक किया जा सकता है समूह देखरेख योजना अंतर्गत रखने की व्यवस्था :–

(i) बालक निका उम्र 6 से 18 वर्ष है एवं देखरेख संरक्षण वाली संस्था में निवासरत है, एवं जिन्हे समिति द्वारा लीगल फ्री नही किया गया है उन्हे व्यक्तिगत देखभाल योजना के आधार पर फॉस्टर केयर में रखा जा सकता है।

(ii) बच्चे जिनके माता–पिता अक्सर बीमार रहतें है एवं माता–पिता बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है एवं जिनके माता–पिता द्वारा समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को उनके बच्चे की देखभाल करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है।

(iii) संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत) के माध्यम से जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित किये गये बच्चे :–

- जिनके माता–पिता मानसिक रूप से बीमार हैं एवं बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ है।
- जिनके माता या पिता अथवा दोनो जेल में हैं।
- जो घरेलू हिंसा, प्राकृतिक आपदा, शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण के शिकार हैं।

8. पालक माता–पिता के अधिकार एवं कर्तव्य :–

8.1 फॉस्टर केयर के अंतर्गत बच्चे के अधिकार :–

(i) बाल कल्याण समिति, जिला और राज्य के पदाधिकारियों के साथ संयोजन बिठाकर यह सुनिश्चित करेगी कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को बरकरार रखा जाता है एवं उनके विचारों को जहां तक संभव हो ध्यान में रखते हुये पालक देखरेख रखेंगें।

(ii) बच्चा अपने जैविक परिवार की स्थिति की जानकारी समय–समय पर प्राप्त कर सकेगा।

(iii) बच्चे को यह अधिकार होगा कि वह शासकीय योजनाओं की जानकारी जो उसके विकास से संबंधित है प्राप्त कर सकेगा।

8.2 पालक माता–पिता के अधिकार निम्नलिखित हैं :–

(i) सुने जाने एवं सम्मान पाने का अधिकार।

(ii) उनके सामाजिक स्थिति के आधार पर गैर– भेदभाव का अधिकार।

(iii) बच्चो का दत्तक गृहण 2015 के दिशानिर्देशों की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद बच्चे को 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक फोस्टर केयर वैध में रखे जाने के बाद,ठीक उसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार यदि बच्चे की खुद की कोई दावेदारी न हो।

8.3 उपयुक्त सुविधा तंत्र के सेवाप्रदाओं के अधिकार :–

(i) सुने जाने एवं सम्मान पाने का अधिकार।

(ii) उनके सामाजिक स्थिति के आधार पर गैर– भेदभाव का अधिकार।

(iii) प्रशिक्षण एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार।

(iv) सेवा से मुक्त होने का अधिकार जैसा कि सेवाशर्तो में वेतन, भत्ते और सेवानिवृत पश्चात भत्ते आदि का अधिकार।

9. पालक माता–पिता की देखभाल में रखे गये बच्चे के प्रति उनकी जिम्मेदारियॉ (कर्तव्य)

9.1 प्रमुख कर्तव्य :–

- पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं आश्रय प्रदान करना।
- बच्चे के सम्पूर्ण मानसिक, भावनात्मक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिये देखरेख सहायता एवं इलाज मुहैया कराना।
- बच्चे के हितों, विकास की जरूरतों एवं उम्र के अनुसार शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
- उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ती।
- शोषण, दुराचार, नुकसान, अपेक्षा और शोषण से बच्चे का संरक्षण करना।
- बच्चे तथा उसके जैविक परिवार की गोपनियता का सम्मान करना। एवं यह स्वीकारना कि उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी गोपनीय है एवं पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य पक्ष के समक्ष खुलासा नहीं किया जाना।
- आपातकालीन स्थिति में बच्चे को इलाज मुहैया कराना एवं इसके बाद संरक्षण अधिकारी गैर संस्थानिक को सूचना देना।
- बच्चे के घर एवं स्कूल में सम्मेलन के संबंध में जानकारी को समिति एवं जैविक परिवार से सांझा करना एवं बच्चे को समिति के समक्ष पे ा करना।

- बाल कल्याण समिति की सहमति पर बच्चे एवं उनके जैविक परिवार से संपर्क करने में सहयोग करना यदि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं।

9.2 उपयुक्त सुविधा तंत्रा के सेवाप्रदता के दायित्व :–

खाना, रहवास, शिक्षा की सुविधाएं निर्धारित गुणवक्ता के माप अनुसार उपलब्ध कराते हुये सेवा प्रदाता दायित्व है कि

(i) वह बच्चे के विकासात्मक सूचनाओं यथा स्कूल एवं घर के वातावरण के समक्ष एवं समिति एवं बालक के जैविक परिवार से सांझा करेगा एवं बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार उसे समिति के समक्ष पे ा करेगा।

(ii) बच्चे एवं जिला संरक्षण इकाई के संपर्क को सुगम करेगा।

(iii) बच्चे एवं उसके जैविक परिवार के संपर्क में सहयोग करेगा।

(iv) बच्चे के किसी गंभीर स्वास्थय मुद्दे यथा ऑपरेशन आदि हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समिति से अग्रिम अनुमति प्राप्त करेगा।

(v) समय–समय पर बच्चे की ठौर–ठिकाने की जानकारी सुनिश्चित करना। इसमे बच्चे का पता (एड्रेस) परिवर्तन, छुट्टियां का प्लान एवं बच्चे के वाहर जाने के किसी भी कार्यक्रम की जानकारी सामिल है।

(vi) किसी भी संकटपूर्ण घटना जैसे चोट (आस्मिक या गैर आकस्मिक) किसी व्यक्ति द्वारा कथित दुव्यवहार की अवस्था में, किसी भी आपराधिक अथवा बच्चे के द्वारा स्वयं को नुकसान पहुॅचाने आदि मामलों की सूचना तुरंत संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थगत देखभाल) को प्रदान करना।

(vii) बालक के उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि प्राप्त करने में सहयोग करेगा।

10 पालक माता–पिता के चयन के लिये मापदंड :–

10.1 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा व्यक्तिगत एवं सामुहिक फॉस्टर केयर (पालन करने वाले) माता–पिता का चुनाव करने हेतु निम्नलिखित मानदंड बनाये गये हैं।

(i) दोनों जीवन साथी भारतीय नागरिक होने चाहिए। (यह महसूस किया जाता है कि वर्तमान में एकल अभिभावक को फॉस्टर केयर के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि उनकी शादी के बंधन में प्रेवेश करने की संभवना है और ये कई परेशानियां को जन्म दे सकती है।)

(ii) दोनों जीवन साथी का एक ही (उसी) बच्चे को पालन–पोषण के लिये इच्छित (सहमत) होना आवश्यक है।

(iii) दोनों जीवन साथी की उम्र 35 वर्ष की आयु से ऊपर होना आवश्यक है एवं दोनों को शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक है। (पालक माता–पिता की अधिकातम आयु सीमा तय नहीं की गई है गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर उनकी उपयुक्तता (योग्यता) पर विचार किया जायेगा ।

(iv) सामान्यतः पालक माता–पिता की इतनी आय होना चाहिये जिसमें वे बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हों और इसके लिये उन्हे फॉस्टर केयर रखरखाव भुगतान (Foster Care Maintenance Payment) पर निर्भर नहीं होना चाहिये।

(v) परिसर में रहने वाले फॉस्टर केयर पालक परिवार के सभी सदस्यों की मेडिकल रिपोर्ट, ह्यूमन इम्यूनो डेफिसिएंसी वायरल (एचआईवी), क्षय रोग एवं हेपेटायटिस बी आदि की जांचों सहित प्राप्त की जानी चाहिए। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे चिकित्सकीय रूप से योग्य है।

(vi) पर्याप्त स्थान एवं बुनियादी सुबिधाएँ उपलब्ध होना चाहिये।

(vii) ड़ॉक्टर के पास नियमित रूप से दौरा, बच्चे के स्वास्थ्य एवं उसके रिकार्ड के रखरखाव सहित सभी निर्धारित नियमों का पालन करने के लिये तैयार होना चाहिये।

(viii) जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा आयोजित किये जाने वाले फॉस्टर केयर उन्मुखीकरण कार्यक्रमों में शामिल होते रहने हेतु तैयार होना चाहिये।

(ix) अपराधिक पृष्टभूमि नहीं होना चाहियें।

(x) मित्रों एवं पडोसियो के साथ सहयोगात्मक संबंध होना चाहिये।

10.2 समूह फॉस्टर केयर हेतु योग्य सुविधा चयन हेतु कसौटी :–

जिला बाल संरक्षण इकाई योग्य सुविधा का चयन करते समय निम्नलिखित कसौटियों पर विचार करे :–

(i) एक्ट के अंतर्गत संगठन का रजिस्ट्रेशन

(ii) बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों को समूह फॉस्टर केयर के योग्य सुविधा के रूप में मान्यता दी जाये।

(iii) नीति आयोग की बेवसाइट पर एन.जी.ओ. की तरह रजिस्ट्रेशन।

(iv) बाल संरक्षण नीति का अस्तित्व।

(v) संरक्षण देने वाले सभी लोगों की चिकित्सा रिपोर्ट होनी चाहिये जिसमें एच.आई.व्ही., छः रोग (टी.बी.) हैपेटाइटिस–बी और अन्य संक्रामक बीमारी, कैंसर आदि की जांच हो, जिससे सुनिश्चित हो कि वे चिकित्सीय रूप से फिट हैं।

(vi) संरक्षण देने अपराध सिद्ध व अपराध के अभियुक्त नहीं होना चाहिये।

(vii) स्थान :– रहने वाले स्थान को पर्याप्त खुला और अधिकतम 08 बच्चों के समूह हेतु पर्याप्त सुविधा युक्त होना चाहिये। जिसमें दोनों लिंग के बच्चे रह सकें व गोपनीयता हेतु पर्याप्त स्थान हो।

(viii) बच्चों हेतु पर्याप्त जगह और उचित सुविधाएं होना चाहिये।

(ix) घर के अंदर रसोई घर होना चाहिये और शौचालय व स्नानागार प्रत्येक 4 बच्चों पर कम से कम एक होना चाहिये।

(x) किसी सस्थानिक भवन के स्थान पर घर जैसा वातावरण होना चाहिये।

(xi) ये सभी उचित सुविधाओं वाला फॉस्टर केयर ऐसे पड़ोस में कि स्थानीय पारंपरिक व्यवहार को बढावा मिले।

(xii) सेवा प्रदाताओं के चयन की प्रकिृया उन आहर्ताओं प आधारित होना चाहिये जो राज्य सरकार निर्धारित करे।

(xiii) सामान्यः उन्हें बच्चों के साथ सहानुभूति एवं जुड़ाव रखना चाहिये।

(xiv) समूह फॉस्ट केयर हेतु प्रत्येक सेवा प्रदाता को पूर्व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

(xv) सेवा प्रदाताओं की सेवानिकृष्टि योजना होना चाहिये।

अध्याय – II

फॉस्टर केयर में बच्चों को रखने से संबंधित प्रक्रियांए

जिले में फॉस्टर केयर कार्यक्रम को लागू करने के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई (नोडल) प्राधिकरण है। एक बच्चे को फॉस्टर केयर में रखने से संबंधित सभी निर्णय जिले की बाल कल्याण समिति के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के अनुमोदन से लिये जायेंगें।

2.1 बाल देखभाल संस्थानो में रहने वाले बच्चों के पहचान पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया।

2.1.1 व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करना :–

(i) हर बच्चे के लिये, जितना जल्दी हो सके, एक व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जानी चाहिये, जैसा कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जैसा केन्द्रीय आदर्श (मॉडल) नियमों के फॉर्म संख्या 7 के तहत निर्धारित है।

(ii) बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना की बच्चे के सर्वोत्तम हित एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुये समय–समय पर समीक्षा की जायेगी।

2.1.2 बालक की अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना :–

फॉस्टर केयर में रखने के लिये चिन्हित किये गये प्रत्येक बच्चे की एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट तैयार की जायेगी जो कि अनुबंध फार्म 31 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नियम 2016 के आधार पर होगा।

2.1.3 फॉस्टर केयर के लिये बच्चे की योग्यता :–

(i) व्यक्तिगत देखभाल योजना एवं बालक की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता संस्था में निवासरत के संबध में बच्चे की अनुशंसा करेगी जिसे फॉस्टर केयर में रखने से लाभ होने की संभावना है।

(ii) फॉस्टर केयर के लिये पात्र बच्चों की सूची जिला संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी

(संस्थागत देखभाल) को भेजी जाएगी इनमें वे बच्चे भी भाामिल होंगे जिन्हें लीगल फ्री किया गया है लेकिन दत्तक पर नहीं दिया गया है।

2.1.4 पालक अभिभवक/माता–पिता की पहचान :–

(i) जिला बाल संरक्षण इकाई उन परिवारों को चिन्हित करगी जो पालक माता–पिता अथवा सामूहिक फॉस्टर केयर मूं बच्चों को रखने के इच्छुक हैं। इस उद्देश्य के लिये जिला बाल संरक्षण समिति सामूहिक फॉस्टर केयर एवं व्यक्तिगत फॉस्टर के लिये अलग–अलग आवेदन मगाने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में समय–समय पर विज्ञापन देगी। इच्छुक पोशक माता–पिता उपयोग हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट A पर दर्ज है।

(ii) जिला बाल संरक्षण इकाई इन दिशानिर्देशों के अध्याय **I** के पैरा **10.1** में दिये गये मानदंड़ों के आधार पर आवेदको की संक्षिप्त सूची बनायेगी एवं पालक अभिभावक/माता–पिता का साक्षात्कार आयोजित करेगी। साक्षात्कार अभिभावक/माता–पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रारूप के आधार पर भावी पालक अभिभावक/माता–पिता का आंकलन करेगा। आंकलन रिपोर्ट के परिशिष्ट B के आधार पर तैयार की जाएगी।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक पालक अभिभावक/ माता–पिता द्वारा प्रदान किये गये उच्च प्रतिश्ठित संदर्भ वाले व्यक्तियों के दोनों संदर्भो को सत्यापित करेगी।

(iv) जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक भावी पालक अभिभावक/ माता–पिता के आंकलन के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिये आर्थिक स्थिति की अच्छी तरह से जांच करेगी कि वे बच्चे की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं एवं इसके लिये वे फॉस्टर केयर रखरखाव भुगतान पर निर्भर नहीं हैं। परंतु यदि यह आंकलन किया गया है कि पालक माता–पिता सभी मानदंडों को पूरा करते हैं केवल आर्थिक सहायता की आवश्यकता हैं, तब मामले को बाल कल्याण समिति अंतिम आदेश के बाद अनुशंसा के लिये SFCAC को भेजा जायेगा।

(v) जिला बाल संरक्षण इकाई प्रत्येक भावी पालक अभिभावक/ माता–पिता एवं सामूहिक पालक अभिभावक/ माता–पिता की एक अनुसूची तैयार करेगी जो गठित बाल कल्याण समिति को भेजी जायेगी जिसके आधार पर समिति बच्चों को फॉस्टर केयर दे सकेगी।

(vi) जिला बाल संरक्षण इकाई बालक को फॉस्टर केयर में देने हेतु पोषक माता–पिता एवं बालक की मिलान की कार्यवाही करेगी साथ ही वह एक रिपोर्ट उस वक्त तैयार करेगी जो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

2.1.5 भावी पालक अभिभावक/ माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना :–

भावी पालक अभिभावक/ माता–पिता की सूची प्राप्त होने के पश्चात् बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 के फॉर्म **30** के आधार पर उनकी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्दे ा जारी करेगी।

2.1.6 पालक अभिभावक/ माता–पिता के साथ बच्चे का मिलान :–

पालक अभिभावक की गृह अध्ययन रिपोर्ट एवं बालक की अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई भावी पालक अभिभावक के साथ बच्चे को रखने हेतु अनुशंसा करेगी।जिला बाल संरक्षण इकाई की अनुशंसा के आधार पर, समिति बच्चे को रखने हेतु आदेश देने की प्रक्रिया आरंभ करगी।

2.1.7 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त सुविधा तंत्र की पहचान :–

(i) उपयुक्त सुविधा तंत्र की पहचान जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा दि ाानिर्दे ाों के अध्याय 1 के पैरा 10.2 में दिये गये निर्दे ाों के अनुरूप करेगा, परंतु यह कि उस सुविधा का प्रावधन वि ाष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन पोषण देखरेख के लिये किसी बालक को प्राप्त करने के लिये अस्थाई रूप से इच्छुक हो एवं इस बावत् स्थानीय समाचार पत्रों के माध्ययम से आवेदन मगाये हैं।

(ii) इसी प्रकार जिला बाल संरक्षण इकाई संस्था के पदाधिकारियों व सदस्यों एवं सेवा प्रदाताओं का साक्षात्कार लेकर उपयुक्त सुविधा तंत्र के समूह पोषण देखेरख की उपलब्ध सुविधाओं का आंकलन कर सकेगा।

(iii) उपयुक्त सुविधा तंत्र द्वारा समुदाय के दिये गये किन्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सदर्भ को सत्यापित करेंगे।

(iv) जिला बाल संरक्षण इकाई पैरा 10.2 में दिये निर्दे ाों के तारतम्य में उपयुक्त सुविधा तंत्र के पंजीयन, संस्था की पहचान, बाल सुरक्षा नीति एवं सेवा प्रदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट एवं पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की भी जांच करेगी।

(v) यदि आवश्यक होगा तो नीति आयोग पोर्टल पर पंजीयन की जांच करेगी।

(vi) विदे ाी निधियों की प्राप्ति के मामले में एफ.सी.आर.ए. के पंजीयन की जांच करगी।

2.1.8 उपयुक्त सुविधा तंत्र के सेवा प्रदाताओं के साथ बालक का मिलान :–

संस्था के निरीक्षण, बाल अध्ययन रिपोर्ट, बच्चे एवं सेवा प्रदाताओं के आपसी सामजस्य के अध्ययन के आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई बच्चे को भावी पोषक परिवार में भेजने की अनु ंसा बाल कल्याण समिति के समक्ष करगा।

2.1.9 पालक माता–पिता/अभिभावक द्वारा वचन पत्र :–

बच्चे को भावी पोषक परिवार को भेजने की प्रक्रिया को संवेदन ीलता के साथ वि ोष रूप से प्र ि ाक्षित व्यक्तियों द्वारा बाल सुलभ तरीके से नियोजित किया जावेगा।

A पालक परिवार के साथ बच्चे की नियुक्ति :–

(i) बच्चे के संभावित पालक अभिभावक से मिलान के बाद, बाल कल्याण समिति बच्चे और उसके पालक को सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में यह आदे ा एक माह की अवधि का होगा। बातचीत करने के लिये एक अंतरिम आदेश के माध्यम से अनुमति देगी, जिससे बच्चा अपने संभावित पालक/अभिभावक एवं सभी परिवार के सदस्यों से पिकनिक एवं गृह भ्रमण के माध्यम से मिल सके। यह निर्दे ा सामूहिक फॉस्टर केयर में बच्चे को रखने पर भी लागू होगा।

(ii) अंतरिम आदेश के बाद, व्यक्तिगत फॉस्टर केयर के लिये बच्चे के पालक के साथ अनुकूलता एवं सामूहिक फॉस्टर केयर के लिये बच्चे की अन्य बच्चों एवं पालक के साथ अनुकूलता का मूंल्यांकन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा करने के पश्चात तत् संबध में रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें यह जानकारी भी होगी कि पालक अभिभावक को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है अथवा नहीं।

(iii) यदि वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया जाता है, तब जिला बाल संरक्षण इकाई सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित एक प्रस्ताव जिले में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत गठित Sponsorship and Foster Care Approval Committee (प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति SFCAC) के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह समिति प्रत्येक जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रत्येक सिफारिश की समीक्षा करेगी एवं योग्य पाये जाने वाले सभी मामलों में फॉस्टर केयर सहायता को समिति के (अनुमोदन) के पश्चात् समस्त प्रकरणों की सूची को अंतिम आदेश के लिये बाल कल्याण समिति के पास भेजा जायेगा।

B. सामूहिक देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत बच्चे को उपयुक्त सुविधा तंत्र :–

उपयुक्त सुविधा तंत्र के भावी सेवा प्रदाताओं से बालक के मिलान के प चात बाल कल्याण समिति अपने अंतरिम आदे ा से यह अनुमति दे सकेगी की बालक व भावी सेवा प्रदाता एवं सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में एक दूसरे से सीमित दायरे में रहकर सम्पर्क करेंगे साथ ही छोटी बैठक कर सकेंगे व बालक उपयुक्त सुविधा तंत्र के अन्य बालकों से मिल सकेगा।

2.1.10 बाल कल्याण समिति द्वारा अंतिम नियोजन आदेश :–

(i) जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत अनुकूलता रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, फॉस्टर केयर के माध्यम से बच्चे की सहायता के लिये बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय नियम 2016 के तहत फार्म 32 में दिये गये निर्धारित प्रारूप में एक अंतिम आदे ा पारित करेगी एवं इसकी एक प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु जिला बाल संरक्षण समिति को भेजी जायेगी।

(ii) जिन प्रकरणों में वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है उन मामलों में बाल कल्याण समिति द्वारा आमतौर पर अंतरिम आदेश पारित करने के 60 दिनों के भीतर अंतिम आदेश दिया जायेगा।

(iii) जिन प्रकरणों में वित्तीय सहायता की आवश्यकता है एवं मामले को प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन मामलों में बाल कल्याण समिति के अंतरिम आदेश पारित करने के 75 दिनों के भीतर SFCAC के निर्णय के अधीन अंतिम आदेश पारित करेगी।

(iv) उपयुक्त सुविधा तंत्र बच्चे की उच्च ि ाक्षा हेतु बालक के हित में मिल रहे 2000/– रूपये की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, जो कि उसे पंजीकृत बाल देखरेख संस्था के रूप में पंजीयन होने के उपरांत मिल रही है, इसके अलावा वह प्रकरण दर प्रकरण राज्य सरकार से मांग कर सकेगी।

2.1.11 पालक माता–पिता/अभिभावक द्वारा वचन पत्र :–

पालक/माता–पिता एवं सेवा प्रदाता (सुविधा तंत्र के)को किशोर न्याय नियम 2016 अंतर्गत फार्म 33 में बच्चे के फॉस्टर केयर के लिये वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

2.2 समुदाय में रहने वाले बच्चों के नियोजन संबंधी प्रकिया :–

2.2.1 फॉस्टर केयर में नियोजन के लिये पात्र बच्चों की पहचान करना :–

जिला बाल संरक्षण इकाई फॉस्टर केयर कार्यक्रम के संबंध में जन सामान्य में जागरूकता पैदा करेगी एवं बिना माता–पिता के सहारे के रहने वाले बच्चों को चिन्हिंत करेगी और समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत सुभेद की मैपिंग कर जिला की आव यकता का मूल्यांकन कर ऐसे बच्चों के औपचारिक नियोजन हेतु एक सूची तैयार करेगी एवं ऐसे बच्चे फॉस्टर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित हागें बाल अध्ययन रिपेर्ट के आधार पर जिसे किशोर न्याय नियम 2016 के फार्म 31 के तहत तैयार किया जावेगा।

2.2.2 अगली प्रकिया :–

बालक अध्ययन रिपोर्ट, व्यक्तिगत देखभाल योजना की तैयारी फॉस्टर केयर के लिये बच्चे की पहचान एवं अनुशंसा पालक/अभिभावक/माता–पिता की पहचान, भावी पालक/अभिभावक की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना, बच्चों का मिलान, फॉस्टर केयर नियोजन एवं पालक/अभिभावक द्वारा वचन पत्र आदि के लिये आगे की प्रक्रियाएँ इस अध्याय के भाग 2.1. 1 से 2.1.11 के अनुसार होगी।

2.2.3 पालक / माता–पिता द्वारा स्वप्रेरणा से देखभाल :–

यदि पालक /माता–पिता स्वप्रेरणां से किसी ऐसे बच्चे की देखभाल करना चाहते हैं जिसे स्वतः देखभाल की आवश्यकता है तो वे बाल कल्याण समिति के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति आव यकता अनुसार किशोर न्याय नियम 2016 में दी गई निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुये बच्चे का स्थापन उनकी अभिरक्षा में करेगी। (व्यक्तिगत अथवा सामूहिक फॉस्टर केयर)

2.2.4 बच्चे और पालक परिवार की काउंसलिंग (परामर्श) :–

वातावरण एवं परिवार में बदलाव के लिये बच्चे की तैयारी का अत्यंत महत्व है। एक नये नियोजन का प्रभाव बच्चे के लिये तनावपूर्ण हो सकता है और गंभीर परामर्श की आवश्यकता होती है, तैयारी के प्रकार, बच्चे की उम्र एवं बच्चे के फॉस्टर केयर में नियोजन के कारण पर निर्भर करेंगें, विशेष रूप से बड़े बच्चों के मामलों में पालन पालक परिवार के साथ बच्चों के अंतिम नियोजन से पहले अंतरिम अवधि बहुत महत्वपूर्ण है और इसे प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा ध्यान से संभाला जाना चाहिये। विशेष ध्यान उन बच्चों पर दिया जायेगा, जिनके माता–पिता या तो जेल मे हैं या लम्बे समय से अस्पताल में भर्ती हैं। इन बच्चों को अपने माता–पिता से संपर्क बनाये रखने का हर अवसर दिया जायेगा। इस अवधि में पालक परिवार के साथ बच्चों के समग्र समायोजन के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन शामिल होगा।

2.2.5 पालक माता–पिता/अभिभावक के लिये भी परामर्श प्रदान किया जाना है, जिससे वे गरिमा के साथ अपने बच्चों के साथ–साथ बच्चे की देखभाल के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों के प्रति सक्षम हों।

बच्चे के जैविक माता–पिता (यदि वे जीवित है अथवा उपलब्ध हैं) को भी बच्चें को वापस प्राप्त करने के लिये स्वयं को सक्षम बनाने हेतु परामर्श प्रदान किया जाना है।

2.2.6 बच्चे के नियोजन से पूर्व एवं नियोजन के दौरान, जैविक माता–पिता और पालक अभिभावक/माता–पिता से बच्चे के मिलान के दौरान बालक काउंसलिंग हेतु बनाये गये मापदण्ड/नमूने क्रमशः परिशिष्ट C-1 से C-IV में प्रदान किये गये है।

2.3 फॉस्टर केयर शुरू करनाः–

जहां कहीं भी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया जाता है एवं विधिवत् स्वीकृत की जाती है अथवा जब ऐसी सहायता का अनुरोध नहीं किया जाता है। जिला बाल संरक्षण इकाई पालक परिवार के निवास के लिये बच्चे को ले जाने के लिये व्यवस्था करेंगा। वित्तीय सहायता प्रत्येक तिमाही की शुरूआत में जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से सीधे बच्चे के नाम पर डाकघर/बैंक खाते में स्थानांतरित की जायेंगी, उक्त खाते का संचालन बच्चे तथा पालक अभिभावक/माता–पिता के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

पालक अभिभावक द्वारा अनुरोध किये जाने पर बच्चे के निवास स्थान के नजदीकी विद्यालय में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखभाल में रखे गये बच्चे के नामांकन में जिला बाल संरक्षण इकाई पालक परिवार को सहायता प्रदान करेंगी।

2.4 वित्तीय सहायता

प्रत्येक प्रकरण में अंतिम स्वीकृति के पश्चात जहां बच्चे की देखभाल के लिये वित्तीय सहायता का अनुरोध किया जाता है, वहां पालक अभिभावक/माता–पिता को 2000/–रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

समेकित बाल संरक्षण योजना एक प्रायोजन और फॉस्टर केयर कोश के निर्माण का समर्थन करती है जो कि बाल संरक्षण इकाई के नियंत्रण में कार्य करेगी, इस योजना के तहत् प्रत्येक जिले को प्रतिवर्श 10 लाख रूपये की राशि आवंटित की जाती है। सरंक्षण के जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास के लिये राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी के लिये अतिरिक्त अनुदान देने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है। यही वित्तीय मापदंड सामूहिक फॉस्टर केयर में रखे गये बच्चों के लिये भी लागू होंगे।

2.8 प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC):–

प्रत्येक जिले में प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर निधि की समीक्षा एवं मंजूरी देने हेतु एक प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC) का गठन किया जायेगा। SFCAC की बैठक हर माह होगी। प्रत्येक प्रकरण निपटान के लिये लिया जाने वाला कुल समय आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 75 दिवस से अधिक नहीं होगा। वि ोष प्रकरणों में यह समय सीमा 03 माह से अधिक की नहीं होगी।

2.9 सुरक्षा उपाय/सावधानियां :–

1. सामूहिक फॉस्टर केयर को छोड़कर व्यक्तिगत फॉस्टर केयर में 02 से अधिक बच्चों को नहीं रखा जायेगा,
2. बच्चों को संख्या किसी पोषक परिवार में सदस्यों की संख्या 04 से अधिक नहीं होगी, जिनमें जैविक माता–पिता के बच्चे भी भाामिल है।
3. समूह देखभाल योजना की एक इकाई के अंतर्गत बच्चों की संख्या 8 से अधिक नही होगी, इनमें सेवाप्रदाता के जैविक बच्चे भी भाामिल हैं।
4. केवल उन्हीं मामलों में छूट प्रदान की जावेंगी जहां भाई बहनों को एक ही परिवार में रखने की प्राथमिकता है।
5. जहां आवश्यक हो, वहां बच्चे के स्थापन के लिये जैविक माता–पिता की सहमति महत्वपूर्ण है।
6. यदि पालक परिवार में कोई विशेश आवश्यकता वाला जैविक बच्चा है तब किसी विशेश आवश्यकता वाले बच्चे (दिव्यांग) को उस परिवार में फॉस्टर बच्चे के रूप में नहीं रखा जायेगा।
7. जहॉ तक संभव हो, बच्चों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक फॉस्टर केयर में समान सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और जातीय समूह वाले पालक परिवार के साथ रखा जाना चाहिये।

अध्याय – III

निगरानी एवं समीक्षा

3.1 स्थापन की निगरानी

बाल कल्याण समिति एवं प्रायोजन तथा फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति या ता स्वयं अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से बच्चे के सर्वोत्तम हित में स्थापन की समीक्षा एवं फॉस्टर केयर स्थापन की समाप्ती अथवा विस्तार जैसी उचित कार्यवाही करने हेतु समस–समय पर बैठकें आयोजित करेगी, जिला बाल संरक्षण इकाई पोषक एवं देखरेख में दिये गये प्रत्येक बच्चे का रिकार्ड जेजे एक्ट रूल्स 2016 के फार्म 34 में संधारित करगा।

बाल कल्याण समिति पोषक परिवार एवं सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण प्रत्येक माह करेगी एवं इसका रकार्ड जेजे एक्ट रूल्स 2016 के फार्म 35 में रहेगा व बच्चों के बारे में जानकारी लेगा।

फॉस्टर केयर स्थापन के लिय निगरानी उपकरण जिले में फॉस्टर केयर कार्यक्रम की निगरानी एवं बच्चों द्वारा की गई दुराचार शोषण और दुरूपयोग की शिकायतों में की गई जांच एवं हस्तक्षेपों की निगरानी हेतु एनेक्चर क्रमशः अनुबंध D– 1–2 में दिये गये हैं

शिकायत करने हेतु प्रपत्र को अनुबंध E-1 में रखा गया है जांच प्रपत्र को अनुबंध E-II में रखा गया है।

आंकडों को इलैक्ट्रोनिक फार्म में रखा जावेगा।

3.2 बच्चे के विकास/प्रगति पर नजर रखना :–

जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा गैर सरकारी संगठन का सामाजिक कार्यकर्ता जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा निर्देशित किया गया हो सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पोषक परिवार का दौरा पहले महीने में प्रति सप्ताह कम से कम एक बार एवं आगामी छः महीने में माह में एक बार जबतक की पोषण देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत बालक है,इसका रिकार्ड भी संधारित किया जावेगा।

- फॉस्टर कयर के प्रत्येक बच्चे की अलग–अलग केश फाईल तैया की जावेगी।

- वह बालक के स्कूल का मासिक भ्रमण प्रथम तिमाही में करे, उसके पश्चात त्रैमासिक भ्रमण एक वर्ष तक, तत्पश्चात फास्टर केयर की समाप्ति तक प्रत्येक छः माह में भ्रमण करगा।
- बच्चे के स्कूल में उपस्थिति के रिकार्ड को प्राप्त कर संधारित करेगा।
- वह बच्चे के स्वास्थ्य एवं सामान्य पारिवारिक वातावरण सहित बच्चों के सामान्य हित का ध्यान रखते हुये रिकार्ड रखेगा।

बच्चे की प्रगति के आधार पर फॉस्टर केयर समझौते की समाप्ति अथवा अवधि बढ़ाने हेतु सिफारिश करेगा।

3.3 जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संधारित किये जाने वाले अभिलेख (रिकॉर्ड)

जिला बाल संरक्षण इकाई निम्न मौलिक एवं डिजीटल रिकॉर्ड तैयार करेगाः–

i फॉस्टर केयर कार्यक्रम वाले बच्चों का एक मास्टर रजिस्टर तैयार किया जावेंगा जिसमें फॉस्टर केयर की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी संधारित होगी, साथ ही निम्नानुसार अन्य जानकारी होगीः–

(a) फॉस्टर केयर में रखे गये बच्चे का विस्तृत विवरणः–

- बच्चे, पालक अभिभावक एवं जैविक अभिभावक उपयुक्त सुविधा तंत्र के सेवाप्रदाता के फोटोग्राफ, बच्चे के फोटोग्राफ प्रत्येक वर्ष बदले जा सकते हैं। (यदि उपलब्ध हों तो)
- बच्चे के स्थापन के समय उम्र
- लिंग
- माता–पिता की स्थिति
- बच्चे का आधार कार्ड नम्बर

(b) स्थापन का विवरण –

- व्यक्तिगत अथवा सामूहिक

- स्थापन का दिनांक बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार
- बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार स्थापन की अवधि
- फॉस्टर केयर स्थापन के विस्तार अथवा अवधि बढ़ान का कारण व दिनांक यदि लागू हो।

(c) फॉस्टर केयर अनुदान के विवरण एवं वितरण संबंधी जानकारी प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर समिति की बैठकों के ब्यौरे के आधार पर।

(ii) फॉस्टर केयर में रखे गये प्रत्येक बच्चे की अलग–अलग केस फाइल तैयार करना जिसमें निम्न जानकारी शामिल होगी।

- बालक के संदर्भ का स्रोत/अभिनिर्देशन का स्त्रोत।
- जैविक परिवार की फोटो सहित गृह अध्ययन रिपोर्ट, यदि लागू हो तो।
- व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखभाल के प्रकरण में फॉस्टर (पालक) परिवार की फोटो सहित गृह अध्ययन रिपोर्ट।
- बालक अध्ययन रिपोर्ट।
- व्यक्तिगत देखभाल योजना।
- बाल कल्याण समिति द्वारा स्थापन का आदेश।
- बच्चे के साथ पालक परिवार, जैविक परिवार (यदि उपलब्ध हो तो) एवं बच्चे के स्कूल के प्रत्येक भ्रमण/दौरे का रिकॉर्ड (संख्यात्मक) एवं विस्तृत विवरण रखना।
- बच्चे के विकासात्मक महत्वपूर्ण बदलाव सहित स्थापन के सभी निरीक्षणों का रिकार्ड रखना।
- बच्चे के साथ–साथ परिवार अथवा उपयुक्त सुविधा तंत्र के संवा प्रदाताओं के मिलान की रिपोर्ट।
- बच्चे के शैक्षणिक प्रगति, परिवार के वातावरण में परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन, देखभाल प्लान की गुणवत्ता व पूर्ती आदि का अवलोकन कर रिकार्ड करना।

- बच्चे के स्थापन के विस्तार अथवा अवधि बढ़ाने के मामले में, अवधि बढ़ाने के कारण एवं दिनांक का रिकॉर्ड।
- बच्चे के पालक परिवार के भ्रमण के रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु प्रारूपों को अनुबंध–F में रखा गया है।
-

3.4 प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC) के समक्ष त्रैमासिक रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण–

- जिला बाल संरक्षण इकाई का संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखभाल अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चुनी गयी गैर सरकारी संस्था प्रत्येक बच्चे की त्रैमासिक रिपोर्ट समीक्षा हेतु प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC) एवं अनुशंसा हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

3.5 फॉस्टर केयर की समाप्ति

(i) बाल कल्याण समिति को प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट पर सोच–विचार करने के बाद फॉस्टर केयर स्थापन को समाप्त करने का अधिकार है।

(ii) फॉस्टर केयर स्थापन की समाप्ति से पहले बाल कल्याण समिति पालक अभिभावक/माता–पिता के मतों पर विचार करेगी।

(iii) एक बार पुनरीक्षण कर लिया गया है एवं पालक अभिभावक को उचित सूचना–पत्र दे दिया गया है तो बाल कल्याण समिति अन्य उपयुक्त पालक परिवार में बच्चे को रखने के आदेश के साथ जारी आदेश में स्थापन को समाप्त करने के कारण एवं दिनांक का उल्लेख करेगी। इस अंतरिम अवधि में बच्चे को एक बालक देखभाल संस्थान में रखा जा सकता है।

(iv) निम्न मामलों में फॉस्टर केयर स्थापन को समाप्त किया जा सकता हैः

- जब बच्चा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तब फॉस्टर केयर को समाप्त माना जाता है एवं बच्चे के पास अनुरक्षण (Aftercare) कार्यक्रम की सेवाओं का लाभ लेने का विकल्प होता है, फॉस्टर केयर योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु खोले गये संयुक्त बैंक खाता को बच्चे के नाम अंतरित कर दिया जावेगा।

- जब किसी बच्चे को जैविक माता–पिता की अनुपलब्धता के कारण (कारावास अथवा मानसिक बीमारी के इलाज के लिये भर्ती रहने के कारण) फॉस्टर केयर में रखा जाता है। तब फॉस्टर केयर स्थापन को समाप्त किया जा सकता है, यदि बच्चे के जैविक माता–पिता बाहर आ जाते है एवं बच्चे की अभिरक्षा के लिये समिति से अनुरोध करते हैं, यदि समिति द्वारा बच्चे तथा जैविक माता–पिता के पुनः एकीकरण को ठीक समझा जाता है, तो बाल कल्याण समिति एक विशेष आदेश जारी करेगी।
- जब एक बच्चे को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा एक उपयुक्त दत्तक परिवार में दत्तक ग्रहण के लिये भेजा जाता है एवं बच्चे की सहमति प्राप्त कर ली जाती है, तब बाल कल्याण समिति द्वारा फॉस्टर केयर स्थापन को समाप्त किया जा सकता है।
- जब बच्चे, रिश्तेदारों अथवा समुदाय के सदस्य/सदस्यों द्वारा कोई शिकायत की जाती है और जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा जांच के बाद अथवा जब संरक्षण अधिकारी–गैर संस्थागत देखभाल को व्यक्तिगत अथवा सामुहिक देखरेख व्यवस्था के गृह भ्रमण के दौरान निम्नलिखित स्थितियां देखने को मिलती हैः–

  – बच्चे के द्वारा स्कूल जाना बंद कर दिया गया है अथवा बच्चे की स्कूल में उपस्थिति 75% प्रतिशत से कम है, (विशेष परिस्थितियों जैसे बच्चे की अक्षमता या बीमारी को अपवाद के रूप में माना जायेगा)

  – पालक परिवार/घर में बच्चे का शारीरिक शोषण, भावनात्मक दुरूपयोग या उपेक्षा की जा रही है।

  – बच्चे को श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुये बालश्रम में लगाया जा रहा है/लगाया गया है।

  – व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखभाल व्यवस्था में बच्चे के लिये दी जाने वाली फॉस्टर केयर वित्तीय सहायता में पालक अभिभावक/माता–पिता द्वारा हेरफेर किया जाना।

- जब बच्चे, पालक अभिभावक/माता–पिता अथवा रिश्तेदारों द्वारा कोई शिकायत अथवा अनुरोध किया जाता है, अथवा जब संरक्षण अधिकारी–गैर संस्थागत देखभाल को व्यक्तिगत अथवा सामुहिक देखभाल व्यवस्था के गृह भ्रमण के दौरान निम्नलिखित स्थितियां देखने को मिलती हैः–

– पालक माता–पिता या बच्चा परामर्श के बाबजूद स्थापन में समायोजन करने में असमर्थ हैं।

– पालक अभिभावक अब बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक एवं विकास संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के योग्य नहीं रहे हैं।

– उपयुक्त सुविधा तंत्र बालक अपने आप को समकित नहीं कर पा रहा है एवं उसे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है (यथा नशामुक्त सुविधा)

- पोषक माता/पिता का परिवार मृत्यु, तलाक अथवा अलग रहने के कारण विछिन्न हो गया है ऐसाी स्थिति में बच्चे को बाल देखरेख संस्था में रखने की व्यवस्था की जावेगी, तबतक की कोई अन्य सुविधायुक्त तंत्र मे बच्चे के स्थापन हेतु समिति से आदेश नहीं हो जाते।

अध्याय–4 : प्राधिकरणों एवं अभिकरणों की भूमिका

4.1 जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका

जिला बाल संरक्षण इकाई विशेष रूप से निम्नलिखित कार्य करेगी :–

किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना बाल संरक्षण हेतु एक मूल इकाई के रूप में की जानी है जिला बाल संरक्षण इकाई जिसका नेतृत्व जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा किया जावेगा वह बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण संबंधित गतिविधियों का संचालन जिले में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य समन्वय स्थापित कर योजनाओं को लागू कर सकेगा, जिला मजिस्ट्रेट के प्रशासकीय नियंत्रण में रहते हुये 12 सदस्यीय दल के माध्ययम से बाल संरक्षण की गतिविधियों को संचालित करेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई में 12 कर्मचारी होगें जिसके संरक्षण अधिकारी संस्थानिक, संरक्षण अधिकारी गैर– संस्थानिक होंगे।

- फॉस्टर केयर कार्यक्रम के संचालन एवं प्रबंधन सहित बाल संरक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों का कार्यान्वयन करना।
- फॉस्टर केयर कार्यक्रम पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ कार्य करने के लिये उपयुक्त गैर–सरकारी संस्थाओं/स्वयंसेवी संगठनों की पहचान करना।
- फॉस्टर केयर कार्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारी को बनाये रखना एवं जिले के सभी बाल देखभाल संस्थानों एवं विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के लिये संपर्क बिंदु बनाना।
- जिले के सभी हितधारकों जैसे बाल कल्याण समिति, गैर–सरकारी संस्थाओं आदि का फॉस्टर केयर कार्यक्रम पर चर्चा, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन करना।
- व्यक्तिगत एवं सामुहिक फॉस्टर केयर के लिये चयनित भावी पालक अभिभावकों को अलग–अलग चयन करना व अलग–अलग सूची तैयार करना।
- जब तक कि बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं करता तब तक बच्चे तथा पालक अभिभावक के विवरण सहित सभी फॉस्टर केयर स्थापनों (व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्थापन) का आंकडा कोष (डाटाबेस) बनाये रखना।

- बालक के सभी हितधारकों जैसे बाल कल्याण समिति, गैर–सरकारी संस्थाओं आदि का फॉस्टर केयर कार्यक्रम पर चर्चा, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन करना।
- पालक अभिभावक/माता–पिता को उनके स्वयं के एवं बच्चे के लिये आधार नंबर के लिये पंजीकरण कराने हेतु प्रोत्साहित करना, जो कि बच्चे के स्थापन के दौरान एवं स्थापन के बाद बच्चे का पता लगाने के लिये सक्षम बनायेगा।
- शिकायतों पर ध्यान देना, शिकायतों की जांच–पडताल एवं हस्तक्षेप करना।
- फॉस्टर केयर कार्यक्रम की नियमित रूप से पूर्णरूपेण जाचं एवं मूल्यांकन करना।
- अध्याय 3 के भाग 5 में दिये गये कारणों में से एक या अधिक कारणों के लिये फॉस्टर केयर समाप्ति हेतु बाल कल्याण समिति से सिफारिश/अनुशंसा करना।
- बच्चे की संतोषजनक प्रगति एवं बच्चे तथा जैविक माता–पिता के पुनः एकीकरण जैसे विकल्प उपलबध न होने के कारण फॉस्टर केयर स्थापन के विस्तार (अवधि बढाने) हेतु सिफारिश करना।

4.2 जिला बाल संरक्षण अधिकारी की भूमिका–

- जिला बाल संरक्षण इकाई के नेतृत्व के रूप में जिला बाल संरक्षण अधिकारी फॉस्टर केयर कार्यक्रम के लिये नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा एवं वर्तमान में जारी प्रकरणों के संबंध में संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखभाल से रिपोर्ट प्राप्त करेगा।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक फॉस्टर केयर के लिये चयनित भावी पालक अभिभावक की सूची बनाना।

- जिला बाल संरक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करने हेतु समस्त शर्तो का पालन किया जा रहा है या नहीं, समय–समय पर जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्य करने वाले संरक्षण अधिकारी एवं परामर्शदाता सहित अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा अनुशंसित किये गये मामलों का आकलन करेगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्यक्तिगत एवं सामूहिक फॉस्टर केयर के लिये चयनित पालक अभिभावकों एवं बच्चों को फॉस्टर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों एवं उनके लिये सहायता उपलब्ध कराने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- जिला बाल संरक्षण अधिकारी, प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC) के समक्ष त्रैमासिक रिपोर्ट एवं राज्य बाल संरक्षण समिति/सोसायटी के समक्ष वार्शिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4.3 संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख (PO-NIC) एवं संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख (PO-IC) की भूमिकाः–

- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत व्यक्तिगत देखरेख एवं सामूहिक फॉस्टर केयर के लिये मामलों के लिये जिम्मेदार है। बाल देखरेख संस्थानों में रहने वाले बच्चों के मामलों की पहचान करने हेतु संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख से सहायता प्राप्त करेगा।
- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख एवं संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख बच्चों की पात्रता के लिये दस्तावेजों की जांच करेंगे एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिये समन्वय से काम करेंगे।
- संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख पालन पोषण देखरेख सहायता की मांग करने वाले बच्चों की संख्या, संस्थान निवासरत में बच्चों की संख्या एवं सेवाओं के प्रकार जो वे चाहते है, के अनुसार बाल संरक्षण की समस्याओं के विभिन्न आयामों पर आंकडें एकत्रित एवं संकलित करेगा।
- संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख सभी संस्थागत देखरेख कार्यक्रमों में child tracking system (बच्चों का पता लगाने की प्रणाली) की स्थापना एवं प्रबंधन करेगा एवं राज्य शासन द्वारा स्थापित विभिन्न पोर्टलों पर बच्चों की एण्ट्री करेगा।
- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख पालक, परिवारों के गृह अध्ययन रिपोर्ट तेयार करने एवं एक बार बच्चे की जरूरतों का मूल्यांकन करने के बाद बच्चे की जरूरतों को फॉस्टर केयर परिवार से मिलान करने हेतु जिम्मेदार है।

- उन बच्चों के मामले में, जिनके माता–पिता जेल में है, संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख फॉस्टर केयर में बच्चे के स्थापन के लिये उसकी सहमति लेने हेतु उनसे मिलेगा।
- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख मरणासन्न रूप से बीमार बच्चों के माता–पिता द्वारा दिये गये आवेदनों को बाल कल्याण समिति से उनके बच्चों को फॉस्टर केयर में रखने का अनुरोध करते हुये आगे बढायेगा।
- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख द्वारा संस्थानों में रहने वाले फॉस्टर केयर के लिये अनुशंसित बच्चों एवं वे बच्चे जो संस्थागत देखरेख में नहीं है, उनकी एक संयुक्त सूची तैयार की जायेगी।
- केवल उन मामलों को, जहां बच्चे के स्थापन के लिये पालक अभिभावक द्वारा वित्तीय सहायता की मांग की जाती है, एवं उन अनौपचारिक रिश्तेदारी व्यवस्थाओं जिनमें प्रायोजनक की आवश्यकता है, उन्हें प्रतिमाह विचार–विमर्श एवं स्वीकृति हेतु प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे तथा पालक (फॉस्टर केयर) परिवार को फॉस्टर केयर की अवधि से पहले एवं फॉस्टर केयर की अवधि के दौरान परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जावेंगा, जैसा कि इन दिशा–निर्देशों के अध्याय–।। (2) के अनुच्छेद 3 में निर्धारित किया गया है।
- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख बच्चों की 18 वर्श की आयु पूर्ण होने तक परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच कार्यकर्ता, एवं जिला बाल संरक्षण इकाई में कार्य करने वाले समुदाय के स्वयंसेवकों की सहायता से बच्चे की देखभाल व्यवस्था का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करेगा।
- यदि बच्चे के जैविक माता–पिता जीवित है तो संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख यह सुनिश्चित करेगा कि वे निर्धारित दौरों के माध्यम से बच्चे के साथ सम्पर्क में रहें।
- संरक्षण अधिकारी गैर–संस्थागत देखरेख फॉस्टर केयर परिवार एवं समुदाय के नियमित दौरों के माध्यम से फॉस्टर केयर कार्यक्रमों की निगरानी करेगा एवं उसका रिकॉर्ड बनायेगा, जैसा कि इन दिशा–निर्देशों में दिया गया है।

4.4 बाल कल्याण समिति की भूमिकाः–

- यदि कोई परिवार बच्चे के पालन–पोशण हेतु सीधे बाल कल्याण समिति के पास पहुंचता है, (उदाहरण के लिये मरणासन्न रूप से बीमार माता–पिता के अनुरोध अथवा स्वप्रेरणा वाले मामलों में) तब समिति, यदि स्थिति की तात्कालिकता के साथ सहमत

होती है, तो जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे का अध्ययन एवं गृह अध्ययन करने हेतु कहेगी।

- व्यक्तिगत एवं सामूहिक फॉस्टर केयर के लिये चयनित भावी फॉस्टर केयर परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट की जांच करना एवं संतुश्ट होने के बाद उन्हें योग्य व्यक्ति को किशोर न्यायके नियम 2016 के तहत् (fit person) घोशित करना।
- बाल कल्याण समिति व्यक्तिगत देखभाल योजना की जांच करेगी, जहां आवश्यकता हो, वहां माता–पिता की सहमति लेगाी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध वाले मामलों में फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति (SFCAC) से स्वीकृति लेगी एवं फॉस्टर केयर में स्थापन के लिये उपयुक्तता के बारे में स्वयं को संतुश्ट करेगी।
- यदि कोई बच्चा समझने में सक्षम है, तो बाल कल्याण समिति बच्चे की सहमति लेने हेतु उसका साक्षात्कार भी कर सकती है।
- बाल कल्याण समिति फॉस्टर केयर के माध्यम से बच्चे की सहायता करने हेतु जे.जे. एक्ट के नियम 34 (1) के प्रपत्र XVII (17) में दिये गये निर्धारित प्रारूप में एक आदेश बनायेगी एवं इसकी एक प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।
- बाल कल्याण समिति यह सुनिश्चित करने के लिये कि बच्चे की देखभाल ठीक तरह से की जा रही है, समय–समय पर प्रत्येक बच्चे के मामले की समीक्षा करेगी।
- बच्चे को दी गई देखभाल के स्तर की समीक्षा क प्श्चात् बाल कल्याण समिति फॉस्टर केयर स्थापन के विस्तार के लिये आदेश पारित करेगी अथवा असंतोशजनक देखभाल के मामले में समाप्ति हेतु आदेश पारित करेगी एवं बच्चे के लिये वैकल्पिक पुनर्वास के उपाय पर फैसला करेगी।

4.5 प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति (sfcac) की भूमिकाः–

- जैसा कि समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत दिया गया है, प्रत्येक जिले में फॉस्टर केयर कार्यक्रम को लागू करने एवं निगरानी के लिये एक प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति होगी।
- प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति योग्य पाये जाने वाले मामलों में फॉस्टर केयर सहायता के लिये अनुशंसा व स्वीकृति की समीक्षा करेगी। इसके बाद वे फॉस्टर केयर हेतु अंतिम आदेश के लिये बाल कल्याण समिति को भेजे जायेंगे।

अध्याय– 5 : विविध

5.1 सूचना शिक्षा एवं संचार की सामग्री

पोषक परिवार और देखरेख करने वाली उपयुक्त संस्था को बालक सूचना, शिक्षा एवं संचार की पूर्वर्ती सामग्रीउपलब्ध कराने के विषय इस प्रकार हैं :–

- पोषक माता–पिता या देखरेख करने वाले का दावा।
- पोषक माता–पिता और देखरेख करने वाले के लिय उपयोगी निर्देश।
- पोषक परिवार होन का पारितोषिक।
- पोषक परिवार होने की कार्यवाही।

ऊपर अंकित प्रपत्र दिशानिर्देश के साथ संलग्न हैं :–

परिशिष्टि G :– यह सामग्री शासकीय सूचना, विज्ञापन हेतु उपयोगी हो सकती है

6. राज्य सरकार आंकड़े आधारित दिशानिर्देशों के व्यौरेवार विवरण जारी करने हेतु इलैक्ट्रोनिक प्रपत्र विकसित कर सकता है।

7. दिशानिर्देशों की शिथिलता और प्रस्तुतिकरण।

(i) **इन** दिशानिर्देशों को जारी करने के संबंध में मौजूदा नियम और व्याख्या करने के लिये उपयुक्त नियम उल्लेखित करने का प्रावधान है।

(ii) अस्पष्टता या विवाद **की स्थिति में इन** दिशानिर्देशों की व्याख्या करने का अधिकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को होगा।